17- एक भागीदार की निवृत्ति पर भागीदारी के विघटन के लिए करार–पत्र, अन्य भागीदारों द्वारा उसके अंश का क्रय

एक करार–पत्र दिनांक.....को (सतत् भागीदारों के नाम और पते) (जिन्हें एतद्पश्चात् सतत् भागीदार कहा जायेगा), प्रथम पक्ष तथा (निवृत्त भागीदार का नाम और पता) (जिसे एतद्पश्चात् निवृत्त भागीदार कहा जायेगा) द्वितीय पक्ष, के मध्य लिखा गया। जिसके द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :–

(1) .....व्यापार में इसके पक्षकारों की भागीदारी, जो कि दिनांक..... के उक्त (प्रथम भागीदार) प्रथम पक्ष, उक्त (द्वितीय भागीदार) द्वितीय पक्ष, उक्त (तृतीय पक्ष) तृतीय पक्ष तथा उक्त (निवृत्त होने वाला चतुर्थ भागीदार) चतुर्थ पक्ष के मध्य निष्पादित साझा–पत्र के उपबन्धों के अधीन अभी तक किया जा रहा था और जिस साझा–पत्र के अधीन इसके पक्षकारगत (तिथि) को उक्त व्यापार के लाभ और घाटे में समान रूप से भागी थे। गत..... ...(मास) की.....(तिथि) से, जहॉ तक कि निवृत्त भागीदार का सम्बन्ध है, पारस्परिक सम्मति से विघटित समझी जावेगी और उपरोक्त व्यापार उक्त तिथि से आगे सतत् भागीदारों द्वारा चलाया जायेगा।

(2) सतत् भागीदार दिनांक.....को या के पूर्व निवृत्त भागीदार को उक्त भूतपूर्व भागीदारी में, पूँजीगत परिसम्पत्ति तथा उसकी ख्याति लाभ में उसके अंश और हित के क्रय–मूल्य के रूप में.....रुपया देंगे।

(3) निवृत्त भागीदार उक्त गत (तिथि) से.....वर्ष की अवधि तक (उन सीमाओं को लिखिये जिनके भीतर व्यापार नहीं किया जाना है) में प्रत्यक्षतः या परोक्षतः मालिक, अभिकर्ता या लिपिक या किसी भी रूप में.....के उक्त व्यापार को न तो करेगा और न ही उससे सम्बद्ध या उसमें नियोजित या हितबद्ध होगा और न तो सतत् भागीदारों द्वारा उपरोक्त किये जाने के लिए आशयित किसी व्यापार में हस्तक्षेप करेगा और न ही उस व्यापार से सम्बद्ध ग्राहकों या फर्म या कम्पनी को अपने ग्राहक या व्यापारी के रूप में स्वीकार करेगा। निवृत्त भागीदार द्वारा इस खण्ड में अन्तर्विष्ट अनुबन्धों में से किसी का उल्लंघन किये जाने पर उससे सतत् भागीदारों को निर्धारित क्षतिपूर्ति के रूप में.....रूपया देना होगा।

(4) सतत् भागीदार यदि ऐसा ठीक समझे, गत.....(मास) की.....(तिथि) से.... वर्ष की कालावधि तक..... अधिनाम का यथोपरोक्त उनके द्वारा किये जाने के लिए आशयित व्यापार के लिए फर्म के नाम के रूप में प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(5) सतत् भागीदारों को उक्त भूतपूर्व भागीदार के समस्त परिसम्पति को संग्रहित करने की समस्त और प्रत्येक ऋण की मांग करने, उसे वसूल करने या वसूल करने के लिए वाद चलाने, प्राप्त करने, प्राप्ति की रसीद देने और उसके पूर्णतया और प्रभावशील के रूप से उन्मोचक करने का सम्पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता होगी। सतत् भागीदार उसी प्रकार से उक्त भूतपूर्व व्यापार से सम्बन्धित हिसाबों को निपटाने तथा कार्यों को करने के लिए या किसी व्यक्ति पर रुपया छोड़ने के लिए या प्राप्त राशि से कम लेकर उन्मोचक देने के लिए ऋण की वसूली के हेतु वाद चलाने के लिए या प्रस्तुत वाद को उठाने के लिए या समझौता करने के लिए पूर्णतया अधिकृत और स्वतंत्र होंगे और समस्त प्रयोजनों के लिए वे निवृत्त भागीदार के नाम का उपयोग कर सकेंगे।

(6) उक्त भागीदारों के ऋणों और दायित्वों का, जिनकी अनुमानित राशि.....रुपया है और जिन्हें निवृत्त भागीदार को दिये जाने वाले क्रय मूल्य को निर्धारित करने में ध्यान में रखा गया है। भुगतान सतत् भागीदारों द्वारा किया जायेगा जो निवृत्त भागीदार को उनके या उनसे सम्बन्धित समस्त अभियोग कार्यवाही, दावा, मॉग और परिव्यय के विरुद्ध क्षतिपूरित करेंगे।

(7) इसके पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार क्रमशः ऐसे समस्त विलेखों का निष्पादन तथा कार्यों का सम्पादन करेगा जिनकी अपेक्षा इस करार–पत्र को पूर्णतया प्रभावी बनाने के लिए युक्तियुक्त रूप से अन्य पक्षकार या पक्षकारों द्वारा की जायेगी। जिसके प्रमाण में, अपने टाइटिल विलेख जिनके उप निबन्धक कार्यालय... में संख्या... .

दिनांक..... को पंजीकरण हुआ है (यदि कोई है), का विवरण तथा स्थिति निम्नांकित है–

अनुसूची

.....

(समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर)

1/2/3/4

साक्षी–1/2